Chapter-9
Procedure Followed in Decision Making Process

9.0 निर्णय लेने की प्रक्रिया :–

9.1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैन्युअल और बिजनेस मैन्युअल के नियमों आदि नियमों का उपयोग किया जाता है)	माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1965 मण्डल विनियम मण्डल की विभिन्न समितियों द्वारा लिये गये निर्णय राज्य शासन द्वारा निर्धारित सेवा नियम, निर्देश अनुसार।
9.2	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है?	प्रत्येक मामलें में निर्णय लेने के लिये प्रकरण कार्यालय से नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं तत्पश्चात विषयों से संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रकरण निर्णय लेने हेतु मण्डल अध्यक्ष/समक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।
9.3	लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या आवश्यक है?	आवश्यकतानुसार जनता को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। शालाओं को परिपत्र भेजे जाते हैं। प्रेस समाचार जारी कर समाचार पत्रों/सूचना माध्यमों के द्वारा भी जन सामान्य को सूचित किया जाता है।
9.4	विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है?	कार्यालय में विभिन्न विषयों के लिये अधिकारी नामांकित है उन्हीं के परामर्श से निर्णय लिये जाते है।
9.5	अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी?	मण्डल अध्यक्ष/सक्षम समिति/मण्डल की साधारण सभा अधिनियम के प्रावधानानुसार।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें :–

विषय	निविदा स्वीकृति, प्रथम श्रेणी तक अधिकारियों के स्थानांरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही।
दिशा–निर्देश (यदि हो तो)	अधिनियम,विनियम, कार्य नियमावली, सेवा नियम एवं प्रचलित शासकीय निर्देशों के अनुसार।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	सभी प्रकरण सामान्यतः कार्यालय द्वारा अन्य नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का नाम	संबंधित प्रथम श्रेणी अधिकारी, मण्डल सचिव, मण्डल अध्यक्ष एवं सक्षम समिति अधिनियम/विनियम के प्रावधान अनुसार।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	बैठक आयोजन की सूचना जारी की जाती है।
निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें	अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में अपील मण्डल अध्यक्ष को की जा सकती है। अन्य मामलों में राज्य शासन स्कूल विभाग को आवेदन किया जा सकता है।